

अतः पत्रावली कृष्णपुर दिनांक 31-5-18 को पेश हो।

रीडर

२२-५१८ पत्रावली वादीगण के वकील के प्रा०पत्र पर पेशी में ली गई। वादीगण के वकील ने प्रा० प्रस्तुत कर ख० नं० ७० के सम्बन्ध में प्राथमिक डिफ्री आदेश में संशोधन करने का निवेदन किया है, साथ ही एक प्रा० पत्र पत्रावली को राजस्व लोक अदालत कैम्प दिंगोट्या में रखने हेतु भी प्रस्तुत किया है। अतः पत्रावली दि० २३-५१८ को राजस्व लोक अदालत कैम्प दिंगोट्या पर पेश हो।

उप जिला कलेक्टर गंगपुर सिटी

२३-५१८ पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प दिंगोट्या पर पेश हुई। वादीगण १ लगायत ५ उपस्थित हैं। वादीगण ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि हम वादीगण इस बात पर सहमत हैं कि भूमि ख० नं० २५१ रकबा १.३१ है। ग्राम फरासपुर की स्वातेदारी हम वादीगण के नाम सदस्वातेदारी में दर्ज है जिसमें वादी सं० १ लगायत ५ का हिस्सा $\frac{1}{3}$, वादी सं० ५ का हिस्सा $\frac{1}{3}$, वादी सं० ५ का हिस्सा $\frac{1}{3}$ है परन्तु जमावादी में हिस्सा गलत दर्ज है। इसलिये इसी अनुसार हिस्सा दर्ज कर दिया जावे। वादीगण अपना शेष मुकदमा जायत विभाजन भूमि व स्थाई निषेधाज्ञा को वापस ले रहे हैं। वादीगण अपनी भूमि का विभाजन तहसीलदार जी के यहां पर करवा लेंगे। यदि विभाजन तहसीलदार जी के यहां नहीं हो पाता है तो नया दावा पेश करने की दृष्टि के साथ दावे का निर्णय कर दिया जावे।

राम

दि २३

२३

२३

फतेहासिंह वगैरा बनाम मनमरदेवी वगैरा

नम्बर अहकाम हुक्म में	<p>दावा हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p>	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
--------------------------------	--	--

प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया
जब भूमि खण्ड नं० २५१ रकबा १.३१ हे० ग्राम
बनपुर में वादी सं० १ लगायत ३ का हिस्सा $\frac{1}{3}$,
वादी सं० ५ का हिस्सा $\frac{1}{3}$, वादी सं० ५ का हिस्सा
 $\frac{1}{3}$ हिस्सा घोषित किया जाता है। इस भूमि के
खतेदारी इन्ड्राज उपरोक्तानुसार दर्ज किए जावे
व्या पूर्व के इन्ड्राज निरस्त किए जावे। भूमि
का विभाजन तहसीलदार गंगापूर सिटी के यहां
करने हेतु वादीगण को यह दवा वापिस लेने की
जग ही तहसीलदार के यहां विभाजन नहीं होने की
स्थिति में नवीन दवा पेश करने की भी अनुमति
प्रदान की जाती है। इसी अनुसार पंचा डिक्री जारी
किया जावे व पालना हेतु तहसीलदार गंगापूर सिटी
को लिखा जावे।

पत्रावली फैसल नम्बर होकर नम्बर से
कम हो एवं बाह्य तकमील दाखिल इफतर हो।

(सतीश कुमार शर्मा)
सुडकोकेट
सदस्य
लोक अदालत
गंगापूर सिटी

(काबूलाल जाट)
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापूर सिटी
उप निष्ठा निष्ठा
१२५५ गंगापूर सिटी हा

र पेशी
कर
आदेश
ही
कैश्य
ही।
लोक
फतेहा
लेक्टर
राम
निष्ठा
५
शाय
र
३१ हे०
नाम
गंगा ३
व
वादी
नुसार
ना
साई